संख्या-12/2026/202/53-2-2026-Comp.No-299901

प्रेषक,

राम सहाय यादव,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0, लखनऊ।

2.दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 29-03-2026**

विषयः- अनुदान संख्या-16 (जिला योजना-सामान्य) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत अनुपूरक बजट में दुग्ध संघ गोरखपुर हेतु अवमुक्त धनराशि का मद परिवर्तन करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-605/नियो0/दुग्ध-5/अनु0 मॉग टी0सी0पत्रा0/2025-26, दिनांक 25 मार्च, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक बजट में दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुर्नजीवीकरण योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-3/2026/32/005-53-2099-930-2019, दिनांक 04-02-2026 में दुग्ध संघ, गोरखपुर हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 814.98250 लाख में से उपयोगित धनराशि के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 9.42448 लाख का मद परिवर्तन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान (जिला योजना) अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत अनुपूरक बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 2000.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-3/2026/32/005-53-2099-930-2019, दिनांक 04-02-2026 में गोरखपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, गोरखपुर हेतु स्वीकृति धनराशि रू0 814.98250 लाख में से अवशेष धनराशि रू0 9.42448 लाख का निम्नवत् परिवर्तित कार्य/मद में व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

गोरखपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, गोरखपुर।					
क्र0 सं0	मद	शासनादेश संख्या-3/2026/32/005-53-2099-930-2019, दिनांक 04-02-2026 द्वारा स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)	उपयोगित धनराशि (रू0 लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)	परिवर्तित कार्य/मद हेतु स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	दुग्ध मूल्य भुगतान (वर्ष-2022 से 31.08.2025 तक बकाया) एवं दुग्ध संघों का बकाया	332.39250	332.39250	0.0000	बकाया दुग्ध मूल्य भुगतान 9.42448
2	वेतन दुग्ध संघ कर्मचारी (कार्यरत+सेवानिवृत्त कर्मचारी)	214.74000	214.74000	0.0000	
3	ट्रांसपोर्ट का बकाया	55.68000	48.75018	6.92982	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4	मै0मिनी सिक्योरिटी सर्विसेज, गोरखपुर के कार्मिकों का मानदेय	151.50000	151.46818	0.03182	
5	मै0 स्टीम प्लेसमेन्ट एण्ड कन्सल्टेन्ट सर्विसेज (मुख्यालय द्वारा नामित फर्म जिनके कार्मिक स्काडा एवं नये प्लान्ट चलाने हेतु श्रमिकों का सप्लायर)	24.00000	21.53716	2.46284	
6	बिजली बकाया	17.00000	17.00000	0.0000	
7	अन्य संस्था/पार्टी	11.50000	11.50000	0.0000	
8	श्री राजेन्द्र कुमार टैंकर	8.17000	8.17000	0.0000	
योग:-		**814.98250**	**805.55802**	**9.42448**	**9.42448**

2- शासनादेश संख्या-3/2026/32/005-53-2099-930-2019, दिनांक 04-02-2026 में उल्लिखित शेष नियम/शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी।

भवदीय,
राम सहाय यादव
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/प्रयागराज।
3- वरिष्ठ आडिट ऑफिसर(ऑडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित जिलाधिकारी/सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।
8- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
9- सम्बन्धित इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0।
10- सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।
11- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3, उ0प्र0, शासन।
12- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।
13- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राम सहाय यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in